



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128767

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16626/2026

सीतू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: सुनील कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. पुलिस आख्या के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान प्रकरण की लंबितता के संबंध में सूचनाकर्ता को दिनांक 03.05.2026 को नोटिस तामील कराई गई है। नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, वर्तमान जमानत आवेदन का प्रतिवाद करने हेतु सूचनाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

3. आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन थाना आदर्श मंडी, जनपद शामली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 44/2026 तहत धारा 137(2), 64A बीएनएस एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया, अतः, पीड़िता के शरीर पर कोई क्षति नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जब पीड़िता के बयान धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के तहत अभिलिखित किए गए, तो उसने कथन किया कि उसने दिनांक 27.02.2026 को अपनी स्वेच्छा से अपना घर छोड़ा; वह आवेदक द्वारा फुसलाकर नहीं ले जाई गई थी; आवेदक द्वारा कोई दुष्कृत्य नहीं किया गया तथा वह आवेदक के साथ पति-पत्नी के रूप में रही। पीड़िता ने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह आवेदक से प्रेम करती थी तथा उसके परिवारजन इस संबंध के विरुद्ध थे। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता के बयान के अवलोकन से आवेदक के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता एक परिपक्व बालिका थी तथा उसकी वास्तविक आयु छिपाने हेतु, पुलिस प्राधिकारी द्वारा उसे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आयु निर्धारण हेतु संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंततः यह तर्क दिया गया कि आवेदक दिनांक 01.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

5. प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की याचना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, अतः, वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा कारावास की व्यतीत अवधि, तथा किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए, और मामले के गुणागुण पर कोई अभिमत व्यक्त किए बगैर, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक के पक्ष में जमानत का मामला बनता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- सीतू को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय के समाधान पर समान राशि के दो प्रतिभुओं समेत एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन याचित नहीं करेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय धारा 229A भा.द.सं./धारा 269 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान, आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दं.प्र.सं./धारा 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174A भा.द.सं./धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरम्भन, (2) आरोप विरचन, तथा (3) बयान तहत धारा 313 दं.प्र.सं./धारा 351 बी.एन.एस.एस. के अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत के निरसन का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण के परिसाक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र अभिमत बनाने में किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

नितेन्द्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"